राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः एफ 4(220)प्रा0शि0/एमडीएम/दिशा–निर्देश/2019/ 1316 जयपुर दिनांकः 20/02/2020

समस्त जिला कलक्टर,

.....

विषयः–मिड डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न को भारतीय खाद्य निगम से विद्यालय तक सही मात्रा में एवं सुरक्षित पहुँचाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं विद्यालयों तक सही मात्रा में एवं सुरक्षित तरीके से वितरण के सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाते समय आवंटित मात्रा के अनुसार तुलवाकर पूर्ण मात्रा में प्राप्त करें। खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक समिति भी बनाई हुई है जिसमें जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कृषि विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल है। यह समिति भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाते समय खाद्यान्न उच्च गुणवत्तायुक्त होने एवं फेयर एवरेज क्वालिटी के होने का प्रमाण पत्र देती है। उसके बाद ही खाद्यान्न का उठाव किया जाता है। इस विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि क्रय–विक्रय सहकारी समिति खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम एवं जिला रसद अधिकारी से तौलकर ही प्राप्त किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक विद्यालय में तौलकर ही विद्यालय प्रभारी को उपलब्ध करवायें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक/मिड डे मील प्रभारी को भी यह निर्देश है कि वह खाद्यान्न आवंटन के अनुसार पूरी

www.rajteachers.com

पता :– मुख्य प्रशासनिक भवन,डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,जे.एल.एन मार्ग, जयपुर,302017 सम्पर्क –0141–2701694, 2707166, 2701960
ई–मेल rajmdm@rediffmail.com, mdm-rj@nic.in

मात्रा में तौलकर प्राप्त करें। खाद्यान्न पूरी मात्रा में प्राप्त करने के पश्चात ही ठेकेदार को प्राप्ति रसीद दें।

खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के संबध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें:–

1. भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न की गुणवत्ता के संबंध में गठित समिति के द्वारा जांच करने एवं खाद्यान्न के फेयर एवरेज क्वालिटी के होने का प्रमाण–पत्र देने के बाद ही उठाव किया जावे।
2. भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न पूरी मात्रा में तौलकर ही प्राप्त करे।
3. जिला रसद अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय–विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में खाद्यान्न पूरी मात्रा में एवं सुरक्षित रखा हुआ है, खाद्यान्न में किसी भी प्रकार के कीड़े, मकौड़े इल्लियां एवं चूहे आदि नहीं हो, खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के जहरीले कीटनाशक का प्रयोग नहीं करें एवं भारतीय खाद्य निगम के द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार ही खाद्यान्न का रख–रखाव करें।
4. खाद्यान्न विद्यालयों तक पहुचाते समय परिवहनकर्त्ता को तौलकर पूरी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करावें। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय में परिवहनकर्त्ता खाद्यान्न तौलकर पूरी मात्रा में विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी, मिड डे मील को उपलब्ध करवाये तथा इसकी रसीद भी प्राप्त करे। खाद्यान्न को तौलने के लिए तराजु (कांटा) सहकारी उपक्रम द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि (परिवहनकर्त्ता) साथ में लायेगा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में खाद्यान्न आवंटित मात्रा के अनुसार तौलकर पूरी मात्रा में प्रधानाध्यापक/प्रभारी, मिड डे मील द्वारा प्राप्त किया गया है तथा पूरी मात्रा में तौलकर प्राप्त करने पर ही परिवहनकर्त्ता को रसीद दी गई है। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक/जिला स्तरीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न पूरी मात्रा में तौलकर प्राप्त किया गया है।
6. यह भी देखने में आया है कि परिवहनकर्त्ता खाद्यान्न विद्यालय समय के बाद में लेकर आते है। उस समय संस्थाप्रधान एवं प्रभारी उपलब्ध नहीं होते है तो वह खाद्यान्न विद्यालय में उपलब्ध किसी भी कार्मिक के सामने डालकर चले जाते है तथा रसीद बाद में ले लेते है। खाद्यान्न विद्यालय समय में ही परिवहनकर्त्ता के माध्यम से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें।
7. विद्यालय प्रभारी खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच करने के उपरान्त ही खाद्यान्न प्राप्त करें। यदि खाद्यान्न की गुणवत्ता सही नहीं है तो उसे किसी हालत में प्राप्त नहीं करें। खराब हुए खाद्यान्न को किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लेवें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जिला रसद अधिकारी एवं सहायक/उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के द्वारा या उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिमाह प्रत्येक क्रय–विक्रय सहकारी समिति का निरीक्षण करें जिसमें खाद्यान्न की गुणवत्ता,

www.rajteachers.com

रखरखाव एवं रिकार्ड की जांच की जा सके। यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न गोदाम में सुरक्षित रखा हुआ है तथा खाद्यान्न के रिकार्ड का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है।

9. प्रत्येक क्रय–विक्रय सहकारी समिति एवं अन्नपूर्णा सहकारी समिति की अब तक की ऑडिट तीन माह के भीतर करवाकर इसकी रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायें।
10. यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में वही खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है जो भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया गया है।

उक्त निर्देशों की पालना करवायें एवं किसी भी स्तर पर लापरवाही /अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

भवदीय

–sd–

(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः एफ 4(220)प्रा0शि0/एमडीएम/दिशा–निर्देश/2019/ 13/6 जयपुर दिनांकः 20/02/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान।
4. अति.खाद्य आयुक्त एवं निदेशक उपभोक्ता मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
7. सहायक महाप्रबन्धक (स्कन्ध एवं बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी।
9. समस्त उप एवं सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),प्रारम्भिक शिक्षा ।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
12. प्रभारी आईटी सैल को को सम्बन्धित को ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(हेम प्रभा)
अति.आयुक्त (वित्त)

www.rajteachers.com

पता :– मुख्य प्रशासनिक भवन,डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,जे.एल.एन मार्ग, जयपुर,302017 सम्पर्क –0141–2701694, 2707166, 2701960
ई–मेल rajmdm@rediffmail.com, mdm-rj@nic.in